

कार्यालय ज्ञाप

जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत विश्वबैंक वित्त पोषित 'उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज-2' (UDWDP Phase-II) के सफल नियोजन व क्रियान्वयन संबंधी नीति निर्धारण, मार्गदर्शन, समन्वय, तकनीकी निर्देशन एवं वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन हेतु "राज्य स्तरीय संचालन समिति" (State Steering Committee) गठित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्तानुसार गठित "राज्य स्तरीय संचालन समिति" का स्वरूप निम्नवत होगा:-

'राज्य स्तरीय संचालन समिति (State Steering Committee)

1	प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त	सदस्य
3	प्रमुख सचिव/सचिव, जलागम	सदस्य
4	प्रमुख सचिव/सचिव, वन	सदस्य
5	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास	सदस्य
6	प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि	सदस्य
7	प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज	सदस्य
8	प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन	सदस्य
9	प्रमुख सचिव/सचिव, उद्यान	सदस्य
10	प्रमुख सचिव/सचिव, लघु सिंचाई	सदस्य
11	प्रमुख सचिव/सचिव, लघु एवं कुटीर उद्योग	सदस्य
12	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड	सदस्य
13	निदेशक, पंचायती राज	सदस्य
14	निदेशक, कृषि	सदस्य
15	निदेशक, पशुपालन विभाग	सदस्य
16	निदेशक, उद्यान	सदस्य
17	मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई	सदस्य
18	भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
19	विश्व बैंक द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
20	निदेशक, नाबार्ड	सदस्य
21	निदेशक, केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून	सदस्य
22	कुलपति गो.ब. पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
23	निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल	सदस्य
24	निदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उधमसिंहनगर	सदस्य
25	मुख्य कार्यकारी, सहभागी स्वयं-सेवी संस्थाएं	सदस्य
26	उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाओं के दो प्रतिनिधि, जो राज्य सरकार से नामित किये गये हों	सदस्य
27	मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय	सदस्य सचिव

क्रमशः...

3. राज्य स्तरीय संचालन समिति परियोजना के क्रिया-कलापों पर विचार करने हेतु प्रत्येक वर्ष में, यथाआवश्यकता, दो-तीन बैठक करेगी।

4. समिति के गैर सरकारी सदस्यों को रेल/बस/टैक्सी का वास्तविक किराया, व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करने पर जलागम प्रबंध निदेशालय द्वारा परियोजना के अधिष्ठान के अन्तर्गत देय होगा। अन्य सदस्य अपने अधिष्ठान से यात्रा व्यय प्राप्त करेंगे।

(बी. पी. पाण्डेय)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 148 (1) / XIII(2) / 2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. जलागम मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
6. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबंध निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. परियोजना निदेशक, कुमाऊँ/गढ़वाल क्षेत्र, हल्द्वानी/मुनि की रेती।
9. उक्तानुसार गठित "राज्य स्तरीय संचालन समिति" में नामित समस्त सदस्यगण (द्वारा जलागम प्रबंध निदेशालय)।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद प्रसाद रतूड़ी)
अपर सचिव।